

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखियें)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

अधिसूचना

क. 1430 / भू अर्जन / 2021 कोरबा

दिनांक 04/02/2022

भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रायोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कटघोरा	धंवईपुर	2.016 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 4/3/22 को समय 12:00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन धंवईपुर पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि का अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है-

- लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु
- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 29 परिवार
- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 29 परिवार
- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? : हां
- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? : हां
- परियोजना की कुल लागत : ₹0 8340.45 लाख
- परियोजना से होने वाले लाभ : रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी।
- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय : प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहें हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है।
- परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(राम साहू)

कलेक्टर

जिला- कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा

Executive Engineer
Water Resources Dn. Korba
Distt. Korba (C.G.)

पृ०क्र० / 1431

/ भू-अर्जन / 2021

प्रतिलिपि:-

कोरबा, दिनांक 10/10/2021

04/02/2022

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
02. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय(विज्ञापन विभाग) जनसंपर्क कार्यालय रायपुर की ओर दो प्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसे दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
03. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
04. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा को उपलब्ध करावे।
05. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
06. प्रभारी अधिकारी (एन०आई०सी) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ०ग० शासन राजस्व विभाग के वेबसाईड एवं स्थानीय वेबसाईड पर अपलोड करें।
07. तहसीलदार कटघोरा, जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
09. सचिव, ग्राम पंचायत धवईपुर तहसील कटघोरा, जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें।

अपर कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)